न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/459

नन्दा आयु 68 वर्ष आत्मज श्री कंवरया जाति तेली निवासी नमाना तहसील एवं जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

श्री जोधराज आयु 68 वर्ष आत्मज श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी रावला मंदिर के पास नमाना तहसील व जिला बून्दी ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 274 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 773 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 774 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 779 रकबा 01 बि स्वा, खसरा नम्बर 781 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 782 रकबा 09 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा उक्त वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सनुवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.09.2015 को रेस्पोडेन्ट द्वारा कहने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामा के आधार पर ही पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होना बताते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । यदि प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं था तो फिर वाद खारिज क्यों किया बल्कि प्रकरण वादी को लौटाया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य जो विवाद है वह धौरा से सम्बन्धित है उक्त धौरा सरकारी है जिसके सम्बन्ध में वादी अपीलान्ट सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है । राजस्व न्यायालय से इस सम्बन्ध में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए तथा प्रकरण को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानते हुए उक्त अपीलाधीन

...र दी जो त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को ...न्यायहित में उचित समझते हैं ।

...भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र में अपील विलम्ब से प्रस्तुत ...जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ...अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा ...प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

...उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ...अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है। ...प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा